

प्रेस- विज्ञप्तिथाना जहानागंज

पीसीआर पर आये अभियुक्त की निशानदेही पर मोबाइल टावरों से चोरी की 04 बैटरी बरामद।

पूर्व की घटना- 1. दिनांक 22.01.23 को आगन्तुक राकेश S/O रामायादव ग्रा0पो0 अतरौलिया थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ थाना स्थानीय पर प्रा0पत्र दिये कि इण्डस कम्पनी का एक टावर ग्राम गोधौरा मे लगा है जिसका इन्डस सख्या 1083811 है एक्साइड कम्पनी का (GODAH) -24 सेल आज्ञात व्यक्ति द्वारा चोरी कर लिया गया जिससे दूरसंचार व्यवस्था बाधित हो गयी है। प्रा0पत्र के आधार पर मु0अ0स0 34/23 धारा 379 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत कर विवेचना उ0नि0 सन्तोष कुमार को सुपुर्द कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

गिरफ्तारी का विवरण: दिनांक- 04.03.2023 को श्रीमान अपर सिविल जज(जू0डि) न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट न0 20 आजमगढ़ द्वारा मु0अ0स0 34/023 धारा 379,411,34 IPC मे प्रकाश मे आये अभियुक्त संतोष गुप्ता S/O नन्दलाल गुप्ता निवासी वार्ड न0 6 आजाद नगर मेहनगर, थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़ का दिनांक 4.3.2023 को 05 घन्टे की पुलिस कस्टडी रिमाण्ड का आदेश प्राप्त किया गया है आदेश के क्रम मे उ0नि0 संतोष कुमार मय हमराह द्वारा जिला कारागार आजमगढ़ से अभि0 संतोष गुप्ता S/O नन्द लाल गुप्ता को जिला कारागार आजमगढ़ से लेकर थाना जहानागंज आये व पुनः पूछताछ किया गया तो अभि0 संतोष गुप्ता S/O नन्दलाल गुप्ता द्वारा बताये गये स्थान कोल्हूखोर हास्पिटल के आगे ग्राम धरवारा से पहले सडक पर पोखरे के पास एक स्थान सरपत व जुट्टा के बीच से मिट्टी हटाकर चार सफेद बोरी मे अलग अलग रखी गयी चोरी की बैट्री दिया। बारी बारी बोरियो को खोलकर देखा गया तो चारो बैटरियों को बोरे से बरामद कर कब्जा पुलिस मे समय करीब 12.40 बजे लिया गया।

पंजीकृत अभियोग:-

1-मु0अ0स0 34/23 धारा 379/411/34 भादवि थाना जहानागंज आजमगढ़

बरामदगी- मोबाईल टावर की 04 अदद बैट्री

गिरफ्तारी करने वाली टीम का विवरण

- 1- एसओ श्री विनय कुमार सिंह थानाध्यक्ष थाना जहानागंज आजमगढ़
- 2- उ0नि0 सन्तोष कुमार मय हमराह थाना जहानागंज आजमगढ़

थाना कन्धरापुरगैंगेस्टर एक्ट में एक गिरफ्तार

पूर्व की घटना का विवरण- थाना क्षेत्र के ग्राम किशुनदासपुर व आस पास के लोगो तथा थाना स्थानीय के आपराधिक अभिलेखीय अवलोकन से भी ज्ञात हुआ कि अभियुक्त विवेक राय पुत्र स्व0 रामउग्रह नि0 किशुनदासपुर थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़ (गैंग लीडर) ने अपने सह अभियुक्तो/ सदस्यों 1. सन्तोष पाल पुत्र प्रभुनरायन पाल नि0 किशुनदासपुर थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़ 2. अम्बुज राय उर्फ डोली राय पुत्र स्व0 लालजी राय नि0 किशुनदासपुर थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़ 3. पंकज राय पुत्र स्व0 लालजी राय नि0 किशुनदासपुर थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़ 4. बन्टू सिंह उर्फ ओम प्रकाश सिंह पुत्र रामजनम सिंह साकिन शिशवा थाना मेहनगर, जनपद आजमगढ़ के साथ मिलकर एक संगठित गिरोह बनाया है जो सक्रिय है। गैंग लीडर अपने तथा अपने गैंग के सदस्यों के आर्थिक,भौतिक व दुनियाबी लाभ के लिए योजना बनाकर गोली मारकर हत्या करना जैसा अपराध कारित करते हैं। इस गैंग के आतंक एवं भय से जनता का कोई भी व्यक्ति थाने पर रिपोर्ट लिखवाने तथा इनके विरुद्ध गवाही देने का साहस नहीं करता है। दिनांक 29.06.2021 को वादी राजेश सरोज (मृतक) पुत्र स्व0 गामा सरोज साकिन किशुनदासपुर थाना कन्धरापुर, जनपद आजमगढ़ को चुनावी रंजिस के कारण, जब वादी RTO आफिस के पास से अमित कुमार से 20 हजार नगद रुपये लेकर अपनी मोटर साइकिल से वापस घर जा रहा था तो उपरोक्त लोग, जो नियोजित तरीके से घात लगाकर गाड़ी सफारी नं. UP 50 AP 0333 से ग्राम चकबिलीदा के पास हाईवे पर वादी को समय 06 बजे सायं पकड़ लिए और मोटर साइकिल को धक्का देकर गिरा दिया तथा अपने गाड़ी से हाकी राड निकाल कर सभी लोग जाति सूचक व भद्दी भद्दी गालिया देते हुए जान लेवा हमला कर दिये। हाकी राड से बुरी तरह मारे पीटे। जिस सम्बन्ध मे वादी द्वारा तहरीर पर थाना सिधारी में दिनांक 30.06.2021 मु0अ0स0 149/21 धारा 147,148,149,323, 325,504,506 भादवि व 3(1)(द), 3(1)(ध), 3(2)(5) SC/ST Act 2015 बनाम अम्बुज राय, पंकज राय, विवेक राय, सन्तोष पाल व धनन्जय सिंह व दो अन्य व्यक्ति पंजीकृत किया गया। अभियोग की विवेचना क्षेत्राधिकारी नगर द्वारा सम्पादित की गयी है। दौरान विवेचना मुकदमा उपरोक्त में धारा 308 की बढोत्तरी की गयी तथा वादी के ईलाज के दौरान वादी मुकदमा की मृत्यु के पश्चात धारा 302

भादवि की बढोत्तरी की गयी। साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्त अम्बुज राय, विवेक राय के विरुद्ध दिनांक 15.09.2021 को जुर्म धारा 147,148,149,323,325,504,506,308,302 भादवि व 3(1)(द), 3(1)(ध), 3(2)(5) SC/ST Act 2015 का आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया। दिनांक 25.02.2023 को मुझ थानाध्यक्ष सुनील कुमार दुबे द्वारा अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध श्रीमान जिला अधिकारी महोदय के अनुमोदन के उपरान्त गैगेस्टर एक्ट का मुकदमा पंजीकृत कराया गया था जिसमे गैंग लीडर अभियुक्त विवेक राय उपरोक्त वांछित चल रहा था।

गिरफ्तारी का विवरण-

दिनांक-04.03.2023 को थानाध्यक्ष सुनील कुमार दुबे मय हमराह द्वारा गैगेस्टर एक्ट उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त विवेक राय पुत्र स्व0 रामउग्रह राय नि0 किशुनदासपुर थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़ को सेहदा पुर्वाचल ओवर ब्रिज के नीचे से समय करीब 11.30 बजे सेहदा पुर्वाचल ओवर ब्रिज से हिरासत पुलिस मे लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1-विवेक राय पुत्र स्व0 रामउग्रह राय नि0 किशुनदासपुर थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़ उम्र 40 वर्ष

पंजीकृत अभियोग-

1-मु0अ0सं0 45/2023 धारा 3(1) यूपी गैगेस्टर एक्ट, थाना कंधारपुर, जनपद आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास-

1.मु0अ0सं0 45/2023 धारा 3(1) यूपी गैगेस्टर एक्ट थाना कन्धरापुर, आजमगढ़।

2. मु0अ0सं0 मु0अ0सं0 149/21 धारा 147,148,149,323, 325,504,506 भादवि व 3(1)(द), 3(1)(ध), 3(2)(5) SC/ST Act 2015 थाना सिधारी, आजमगढ़।

3. मु0अ0सं0 163/2015 धारा 342/504/506 भादवि थाना कन्धरापुर, आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. थानाध्यक्ष सुनील कुमार दुबे मय हमराह थाना कंधरापुर, आजमगढ़।

थाना- बरदह

गैर इरादतन हत्या में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

.पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण- – दिनांक- 03.03.23 को वादिनी श्रीमती चन्द्रपति पत्नी बुद्धिराम ग्राम व पोस्ट सरावाँ थाना बरदह जनपद आजमगढ़ ने थाना स्थानीय पर शिकायत किया कि दिनांक – 02/03/2023 को समय करीब 10.30 बजे रात मे 1- रामनयन द्वारा शराब पीकर खुद के ससुर सरफूम राम पुत्र जनई उम्र लगभग 80 वर्ष से मारपीट किया गया तथा इलाज हेतु ले जाते समय बुढऊ बाबा चौराहे डाक्टर द्वारा मृत घोषित कर दिया गया, के संबंध में मु0अ0सं0 90/23 धारा 304 भा0द0वि0 बनाम रामनयन पुत्र सरफू राम सा0 सरावाँ थाना बरदह जनपद आजमगढ़ पंजीकृत होकर विवेचना उ0नि0 श्री गोपाल जी द्वारा सम्पादित की गई।

गिरफ्तारी का विवरण-

दिनांक 04.03.23 को उ0नि गोपाल जी मय हमराह मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभि0 रामनयन रामपुत्र स्व0 सरफू राम सा0 सरावाँ थाना बरदह जनपद आजमगढ़ को भीरा बाजार समय करीब 11.00 बजे हिरासत पुलिस मे लिया गया तथा नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करने हेतु रवाना किया गया।

पंजीकृत अभियोग-

1- मु0अ0सं0 90/23 धारा 304 भादवि थाना बरदह आजमगढ़

आपराधिक इतिहास-

1-मु0अ0सं0 161/19 धारा 323/326/504 भा0द0वि0 थाना बरदह जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त –

1- रामनयन पुत्र सरफू राम सा0 सरावाँ थाना बरदह जनपद आजमगढ़

पुलिस टीम-

1. उ0नि0गोपाल जी मय हमराह थाना बरदह जनपद आजमगढ़

थाना बिलरियागंज

लड़की को अगवा करने अभियुक्त गिरफ्तार

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 26.02.2023 को वादी थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ ने थाना स्थानीय पर शिकायत किया कि वादी की नाबालिक पौत्री के सुबह शौच के लिए घर से गयी लेकिन वापस नहीं आयी, के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 89/2023 धारा 363 भा0द0वि0 बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था। जिसमें पीड़िता की बरामदगी कर पीड़िता के बयान के आधार पर अभियुक्त अमरनाथ पुत्र सुखराज सा0 बगवार थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़ का नाम प्रकाश में आया। आज दिनांक 04.03.2023 को अभियुक्त अमरनाथ उपरोक्त को गिरफ्तार किया गया है।

गिरफ्तारी का विवरण:-

दिनांक 04.03.2023 को उ0नि0 सन्तोष कुमार सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त अमरनाथ पुत्र सुखराज सा0 बगवार थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ को गुलवा गौरी नहर पुलिया के पास से समय करीब 09.40 बजे हिरासत पुलिस लिया गया। अन्य वैधानिक कार्यवाही अमल में लायी जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1. अमरनाथ पुत्र सुखराज सा0 बगवार थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 89/2023 धारा 363/366 भा0द0वि0 थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

1. उ0नि0 सन्तोष कुमार सिंह मय हमराह थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।

थाना- बरदह

अवैध तमंचा व कारतूस के साथ अभि0 गिरफ्तार

दिनांक 03.03.22 उ0नि0 भगत सिंह मय हमराह द्वारा चेकिंग के दौरान केदलीपुर पुलिया के पास से एक संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ा जिसने अपना नाम मेराज आलम पुत्र शाहआलम निवासी मोहम्मदपुर फेटी थाना बरदह जनपद आजमगढ़ उम्र लगभग 32 वर्ष बताया तथा उसके कब्जे से देशी तमंचा व 2 कारतूस 315 बोर बरामद हुआ। चूकि अभि0 का यह जुर्म धारा 3/25 Arm Act का अपराध है जिसे अपराध का बोध कराते हुये समय करीब 16.45 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 91/2023 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग –

1- मु0अ0सं0 91/2023 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 थाना बरदह जनपद आजमगढ़

आपराधिक इतिहास-

मु0अ0सं0 - 235/20 धारा 3(1) उ0प्र0 गैगेस्टर एक्ट थाना बरदह जनपद आजमगढ़

मु0अ0सं0 433/15 धारा 147/148/149/307352/504 भा0द0वि0 व 7 CLA ACT थाना बरदह जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त-

1-मेराज आलम पुत्र शाहआलम निवासी मोहम्मदपुर फेटी थाना बरदह जनपद आजमगढ़

बरामदगी-

1-एक अदद तमंचा .315 बोर

2- एक अदद जिन्दा कार0 .315 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

भगत सिंह (उ0नि0) चौकी प्रभारी ठेकमा थाना बरदह आजमगढ़

पवन पाण्डेय (उ0नि0) थाना बरदह आजमगढ़

थाना- महाराजगंज

वांछित एक अभियुक्त गिरफ्तार

1.पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण (संक्षेप में)-दिनांक 02.03.23 वादी थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़ ने थाना स्थानीय पर शिकायत किया कि वादी की पुत्री को अज्ञात व्यक्ति द्वारा उठा ले गया है व नशे की हालत में ग्राम पुरवा थाना गम्भीर में सउद के घर पर मिली है, के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 70/23 धारा 363/328 IPC बनाम अज्ञात के पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण-

दिनांक- 04.03.2023 को उ0नि0 सुधीर पाण्डेय मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आये अभियुक्त 1. विकास सोनकर पुत्र महेन्द्र प्रताप सोनकर निवासी नरौली थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ को परशुरामपुर बाजार से समय करीब 11.10 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया, गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग-

1-मु0अ0सं0 70/2023 धारा 363/328 भादवि थाना महाराजगंज आजमगढ़

आपराधिक इतिहास- मुकदमा उपरोक्त

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. विकास सोनकर पुत्र महेन्द्र प्रताप सोनकर निवासी नरौली थाना सिधारी जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1- SO श्री कमलकान्त वर्मा के नेतृत्व में उ0नि0 सुधीर पाण्डेय मय हमराह हे0का0 राजेश कुमार, थाना महाराजगंज, आजमगढ़ ।

थाना- महाराजगंज

शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार

1. पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण (संक्षेप में) –अभियुक्त द्वारा वादीनी मुकदमा से शादी का झांसा देकर अवैध शारिरिक सम्बन्ध बनाना व शादी करने की बात करने पर गाली गुप्ता देते हुए जान माल की धमकी दिया गया, के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 66/23 धारा 376/504/506 भादवि पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

2. गिरफ्तारी की विवरण – दिनांक 04.03.23 को थानाध्यक्ष श्री कमलकान्त वर्मा मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त चन्दन विश्वकर्मा पुत्र विजय बहादुर सा0 बुढ़ावेहिसामुदीनपुर थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़ को मेउड़िया मोड़ से समय करीब 10.15 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया । गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 66/23 धारा 376/504/506 भादवि थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़

आपराधिक इतिहास- मुकदमा उपरोक्त

गिरफ्तार अभियुक्त –

1. चन्दन विश्वकर्मा पुत्र विजय बहादुर सा0 बुढ़ावेहिसामुदीनपुर थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-थानाध्यक्ष श्री कमलकान्त वर्मा मय हमराह का0 वीरेन्द्र कुमार म0आ0 रागिनी सिंह, हो0गा0 संजय वर्मा थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़

थाना निजामाबाद

अवैध असलहा व कारतूस के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

1-पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण – दिनांक 04.03.2023 को उ0नि0 सूरज कुमार चौधरी द्वारा चेकिंग के दौरान अभियुक्त रामजनम यादव पुत्र उदयभान यादव निवासी सेमरा थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ को एक अदद कट्टा .315 बोर व 03 अदद मिस कारतूस 315 बोर के साथ असनी पुलिया के पास से समय 13.15 बजे हिरासत में लिया गया तथा अभियुक्त का चालान मा0न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग –

1-मु0अ0सं0- 90/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना निजामाबाद आजमगढ़

अपराधिक इतिहास –मुकदमा उपरोक्त

गिरफ्तार अभियुक्त

1. रामजनम यादव पुत्र उदयभान यादव निवासी सेमरा थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़

बरामदगी-

1- 01 अदद कट्टा नाजायज .315 वोर व 03 अदद मिस कारतूस .315 बोर

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1.उ0नि0 सूरज कुमार चौधरी मय हमराह थाना निजामाबाद, आमजगढ़

प्रेस- विज्ञप्ति

थाना- कोतवाली जीयनपुर

डस्टबीन आदि की खरीददारी व वितरण में घोटाला करने वाला पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष, अजमतगढ़ (जीयनपुर) गिरफ्तार

पूर्व की घटना का विवरण - दिनांक- 25/01/2022 को तत्कालीन तहसीलदार सगड़ी श्री अभिषेक कुमार सिंह ने थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर सम्बन्धित डस्टबीन आदि सामग्री की खरीद व वितरण में सरकारी धन मुबलिक 17,25,750/- रूपयें की वित्तीय अनियमितता करने विरुद्ध पारसनाथ सोनकर पुत्र मुसाफिर लाल सोनकर निवासी वार्ड नं0 1 सुभाष नगर कस्बा अजमतगढ़, तत्कालीन नगर पंचायत अध्यक्ष अजमतगढ़ के दिया, जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 48/2022 धारा 409,420 भादवि बनाम पारसनाथ सोनकर उपरोक्त पंजीकृत किया गया, जिसकी विवेचना निरीक्षक नवल किशोर क्राइम ब्रान्च द्वारा सम्पादित की जा रही है।

गिरफ्तारी का विवरण - आज दिनांक- 04/03/2023 को निरीक्षक क्राइम ब्रान्च मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त पारसनाथ सोनकर पुत्र मुसाफिर लाल सोनकर निवासी वार्ड नं0 1 सुभाष नगर कस्बा अजमतगढ़ को कस्बा जीयनपुर चौक के पास से समय 15.30 बजे गिरफ्तार किया गया, आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग -

1-मु0अ0सं048/2022 धारा- 409,420 भादवि थाना जीयनपुर, आजमतगढ़।

आपराधिक इतिहास -

क्र0 सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1	112/05	452,336,504,323,406,427 भादवि	जीयनपुर	आजमतगढ़
2	224/008	307 भादवि व 7 सीएलए एक्ट	जीयनपुर	आजमतगढ़
3	164/09	110 द0प्र0सं0	जीयनपुर	आजमतगढ़
4	403/10	110 द0प्र0सं0	जीयनपुर	आजमतगढ़
5	510/10	¾ गुण्डा एक्ट	जीयनपुर	आजमतगढ़
6	350/13	147,148,336,307,353,332,333,341,435,436 भादवि व 7 सीएलए एक्ट व 3/5 लोक सम्पत्ति नि0अधि0	जीयनपुर	आजमतगढ़
7	107/18	392,147,436,427,336,341,323,332,353,186 भादवि व 7 सीएलए एक्ट व 2/3/5 लोक सम्पत्ति नि0 अधि0	जीयनपुर	आजमतगढ़
8	108/18	147.148,149,151,152,153,186,332,333,336,341,353,307,323,504,506,427 भादवि 3(2) लो0स0क्ष0नि0अधि0 व 7 सीएलए एक्ट	जीयनपुर	आजमतगढ़
9	48/2022	419,420 भादवि	जीयनपुर	आजमतगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त -

1-पारसनाथ सोनकर पुत्र मुसाफिर लाल सोनकर निवासी वार्ड नं0 1 सुभाष नगर कस्बा अजमतगढ़, थाना जीयनपुर, जनपद आजमतगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली टीम -

1. SHO यादवेन्द्र पाण्डेय थाना जीयनपुर आजमतगढ़
2. निरीक्षक नवल किशोर क्राइम ब्रान्च, आजमतगढ़।
3. उ0नि0 राजेन्द्र प्रसाद पटेल थाना जीयनपुर आजमतगढ़
4. हे0का0 अखिलेश यादव क्राइम ब्रान्च, जनपद-आजमतगढ़।
5. का0 हरिकिशन थाना कोतवाली जीयनपुर, जनपद-आजमतगढ़।
6. का0 शैलेन्द्र थाना कोतवाली जीयनपुर, जनपद-आजमतगढ़।
7. म0का0 अन्नू यादव थाना कोतवाली जीयनपुर, जनपद-आजमतगढ़।

प्रेस-विज्ञप्ति

होली पर्व व शब-ए-बारात को सकुशल सम्पन्न कराने हेतु आईजी आजमगढ़ व एसपी आजमगढ़ ने किया रूट मार्च

आज दिनांक- 04.03.2023 को पुलिस महानिरीक्षक आजमगढ़ परिक्षेत्र आजमगढ़ श्री अखिलेख कुमार व पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य द्वारा होली पर्व एवं शब-ए-बारात को सकुशल सम्पन्न कराने हेतु थाना कोतवाली क्षेत्र के तकिया, दलाल घाट, चौक, शंकर तिराहा आदि स्थलों पर रूट मार्च किया गया। रूट मार्च के दौरान व्यापारियों व आम जनमानस को सुरक्षा का एहसास दिलाते हुए निम्नलिखित दिशा-निर्देश दिये गये-

- ➡ दिनांक- 07.03.2023 को होलिका दहन के दिन कोतवाली क्षेत्र में निकलने वाले दो होलिका जुलूसों के रूटों का भ्रमण कर पुलिस अधीक्षक नगर, क्षेत्राधिकारी नगर व मातहत अधिकारी कर्मचारी गणों को आवश्यक निर्देश दिये गये तथा 24 घण्टे एलर्ट मोड में रहकर प्रत्येक छोटी सी छोटी सूचनाओं पर त्वरित कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।
- ➡ रूट में पड़ने वाले सीसीटीवी कैमरों को चिन्हित किया गया।
- ➡ रूट में पड़ने वाले संवेदनशील स्थलों को चिन्हित करते हुए तदानुसार ड्यूटी लगाने हेतु निर्देश दिये गये।
- ➡ क्षेत्र में पड़ने वाले अतिसंवेदनशील स्थलों को चिन्हित करते हुए रूफ टाप ड्यूटी लगाने हेतु निर्देश दिये गये।
- ➡ मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरतने हेतु निर्देश दिये गये।
- ➡ शरारती तत्वों, अवैध रूप से शराब बिक्री करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।

प्रेस-विज्ञप्ति

थाना- रानी की सराय

हत्या के 06 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा व 10-10 हजार रुपये का जुर्माना

- ➡ दिनांक-28.05.2017 को वादी श्री सत्यदेव सिंह पुत्र रामनवल सिंह निवासी चकमेऊवां, थाना रानी की सराय, जनपद आजमगढ़ ने थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर दिये कि वादी अपने भाई सुदर्शन चौहान, भतीजे डा राजीव चौहान तथा गांव के निवासी मुनीराम चौहान आदि 06 लोगों के साथ डा0 राजीव चौहान के क्लीनिक, सोनवारा से शादी की खरीदारी करने के लिए जा रहे थे, तभी अचानक 04 बाइक सवार राजेश यादव आदि 13 नफर द्वारा प्राइमरी स्कूल सिरसाल, प्रधान के पोखरी के पास लाठी, डंडा, तमंचा आदि से हमला कर दिये जिसमें वादी के भाई सुदर्शन चौहान व गांव के निवासी मुनीराम चौहान की मृत्यु हो गयी।
- ➡ जिसमें 13 नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध थाना रानी की सराय पर मु0अ0सं0- 126 सन् 2017 अंतर्गत धारा 147/148/149/302/323/34 भादवि व 07 सीएलए पंजीकृत किया गया था।
- ➡ जिसमें अभियुक्तों के विरुद्ध मा0 न्यायालय में चार्टशीट दाखिल की गयी।
- ➡ उपरोक्त मुकदमें में 14 गवाह परिक्षित हुए है।
- ➡ जिसके क्रम में आज दिनांक- 04.03.2023 को अपर सत्र न्यायाधीश (गैगैस्टर) कोर्ट नं0- 04, आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त 1. शिवशंकर यादव पुत्र लालजीत यादव, 2. बबलू यादव पुत्र महेन्द्र यादव, 3. सन्तोष यादव पुत्र बरसाती यादव, 4. शिवशंकर यादव पुत्र महेन्द्र यादव, 5. अशोक यादव पुत्र बरसाती यादव 6. राजेश यादव नाती रामजीत यादव निवासी गण चकमेऊवा, थाना रानी की सराय, जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए प्रत्येक को आजीवन कारावास की सजा एवं 10-10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।